जनपद : महामायानगर

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत निम्न सुविधायें उपलब्ध

1. जननी सुरक्षा योजना

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) जीवनयापन करने वाली महिलाओं के लिये जननी सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया। यह भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोशित योजना है।

उद्देश्य :–

- संस्थागत प्रसव हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करना।
- मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।

लक्ष्य समूह :–

प्रजनन आयुवर्ग की गर्भवती महिलायें।

प्रदेश के समस्त जनपदों की राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में यह योजना चलाई जा रही है जिससे अधिक से अधिक लाभार्थी महिलाओं को इस का लाभ मिल सके।

संस्थागत प्रसव हेतु लाभार्थियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि

ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र		
लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रू0)	आशा को दी जाने वाली धनराशि (रू0)	कुल धनराशि (रू0)	लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रू0)	आशा को दी जाने वाली धनराशि (रू0)	कुल धनराशि (रू0)
1400	600	2000	1000	200	1200

उपरोक्तानुसार जननी सुरक्षा योजना की सहायता धनराशि हेतु पात्रता निम्नवत होगी

- सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों यथा उपकेन्द्र, प्रा0स्वा0के0, सा0स्वा0केन्द्र, प्रथम संदर्भन इकाई अथवा राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में प्रसव कराने वाली समस्त महिलाओं को धनराशि देय होगी ।

- जननी सुरक्षा योजना के पूर्व निर्धारित मानकों में संशोधन कर दिया गया है। संशोधित मानकों के अनुसार **संस्थागत प्रसव कराने वाली लाभार्थी महिला** की (i) 19 वर्श आयु (ii) दो जीवित बच्चो के जन्म तक (iii) गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र (iv) तीसरे जन्म पर नसबन्दी कराने पर लाभ की देयता – ये सब प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये गये हैं।

जननी सुरक्षा योजना हेतु पात्रता

घर पर प्रसव कराने वाली लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता धनराशि

- घर पर प्रसव कराने वाली लाभार्थी महिलाओं को पूर्व निर्धारित मानकों – ''गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं जिनकी आयु 19 वर्श या अधिक हो, को दो जीवित जन्मों तक एवं बी.पी.एल कार्ड धारक को'' ही रू.500/– की धनराशि देय होगी।

जननी सुरक्षा योजना में 'आशा' की भूमिका

इस योजना में आशा की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसके कार्य निम्नवत् होंगे

- गर्भवती महिला यथा सम्भव प्रथम तिमाही को चिन्हित कर उसका पंजीकरण कराना।
- महिला को टी.टी. के दो टीके लगवाना।
- आयरन फौलिक एसिड की सौ गोलियां दिलाना।
- तीन Ante-Natal Check up करवाना।
- सुरक्षित प्रसव हेतु सेवायें उपलब्ध कराना/चिकित्सालय ले जाना।
- प्रसव के पश्चात् महिला की प्रसवोत्तर देखभाल।
- नवजात शिशु का शीघ्र टीकाकरण करवाना।
- घरेलू प्रसव की स्थिति में लाभार्थी महिला को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता करना।

'आशा' को इस के लिये ग्रामीण क्षेत्र में रू.600/– दिये जायेंगे

रू.600/– का ब्रेक–अप

- यदि महिला के घर से अस्पताल दूर है और प्रसव के लिये महिला को किसी वाहन से जाना है तो 'आशा' या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उस महिला को अस्पताल ले जाने के लिये सवारी का इंतजाम कर उसे अस्पताल ले जायेगी। इसके लिये आशा को रू. 250/– तक वाहन व्यवस्था हेतु देय होंगे।
- यदि जरूरी हुआ तो अस्पताल में प्रसव होने के समय उस महिला के साथ रहेगी, उस महिला के और अपने भोजन का व स्वयं रहने का इन्तजाम करेगी।इसके लिये आशा को रू.150/– तक रहना और भोजन व्यवस्था हेतु देय होंगे।
- रू.200/– आशा को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में देय होंगे।

■ शहरी क्षेत्र में आशा को रू.200/– प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दिये जायेंगे।

'आशा' – धनराशि की देयता

■ आशा को धनराशि ए0एन0एम0 द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
■ आशा कार्यकर्त्री को दी जाने वाली धनराशि दो किश्तों में दी जाएगी–
■ 50 प्रतिशत धनराशि–महिला को प्रसव हेतु भर्ती के पश्चात् अथवा प्रसव के 07 दिन के अंदर दी जायेगी।
■ शेश 50प्रतिशत धनराशि उस महिला की प्रसवोत्तर देखभाल एवं नवजात शिशु को बी.सी.जी. का टीकाकरण कराने के बाद दे दी जायेगी।

जटिल प्रसव प्रबन्धन

■ यदि लाभार्थी महिला, जो जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हो, को चिकित्सालय ले जाने पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और चिकित्सालय में जटिल प्रसव प्रबंधन के लिये विशेशज्ञ उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में–

अन्य सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों/चिकित्सालय के विशेशज्ञों की टीम को बुलाकर जटिल प्रसव प्रबंधन सुनिश्चित कराया जाये। इस हेतु रू.1500/– की सहायता धनराशि से मोबिलिटी एवं मानदेय का भुगतान किया जाए।

अन्य चिकित्सा इकाईयों के विशेशज्ञों को पहले से ही चिन्हित कर लिया जाये। जिससे आवश्यकता पड़ने पर गर्भवती महिला के प्रसव के लिये उन्हें बुलाया जा सके या अन्य चिकित्सालय में महिला को सुरक्षित प्रसव हेतु भेजा जा सके।

आशा को प्रोत्साहन हेतु देय धनराशि

कार्यक्रम	कार्यवाही	धनराशि	कब तक देय / किसके द्वारा देय
परिवार कल्याण			
■ जननी सुरक्षा योजना	■ लाभार्थी महिला का ए. एन.सी. पंजीकरण। ■ तीन **Ante-natal Check up** ■ टी.टी.टीकाकरण। ■ आयरन फौलिक एसिड टेबलेट दिया जाना। ■ सुरक्षित प्रसव / संस्थागत प्रसव की सेवाये। ■ प्रसवोत्तर जांच, **BCG** टीकाकरण। ■ उपरोक्त समस्त सेवाये उपलब्ध कराने पर।	■ ग्रामीण क्षेत्र – रू. 600 / – **Break up** 1. रू.250 / – **Hospital** ले जाने हेतु परिवहन व्यवस्था हेतु। 2. रू.150 / – लाभार्थी के साथ चिकित्सालय में रूकने एवं भोजन हेतु। 3. रू.200 / – आशा को प्रोत्साहन धनराशि ■ शहरी क्षेत्र रू.200 / – आशा को प्रोत्साहन धनराशि	1. 50%प्रसव के पश्चात 2. शेश **50%** **BCG** टीकाकरण के पश्चात्

2. टीकाकरण कार्यक्रम

नियमित टीकाकरण :–

छः जानलेवा बीमारियों से हर साल लाखों गर्भवती महिलायें और शिशु मर जाते हैं। टीकाकरण द्वारा बच्चों तथा महिलाओं में इन रोगों से बचने की प्रतिरोधक शक्ति पहुचायी जाती है।

इन छः जानलेवा बीमारियों से छुटकारा पाने के लिये भारत सरकार ने 1985 में राश्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम आरम्भ किया, इस कार्यक्रम का लक्ष्य है, सभी गर्भवती महिलाओं व शिशु का सम्पूर्ण टीकाकरण करना। टीकाकरण कार्यक्रम से आच्छादित बीमारियां इस प्रकार हैं–

अ– टिटेनस (जमौघा/धनुर्वात) :–

इस रोग के रोगाणु जंग लेगे लोहे, घोड़े या दूसरे जानवरों की लीद या गोबर तथा धूल मिट्टी में अधिक पाये जाते हैं। गहरा घाव, चोट या खरौच लगने पर ये कीटाणु शरीर के भीतर पहुचकर रोग पैदा कर देते है, और रोगी की जान खतरे में पड़ जाती है।

बचावः– गर्भस्थ शिशु को टिटेनस से बचाने के लिये गर्भस्थ महिला को टिटेनस की पहली खुराक गर्भवास्था का पता चलते ही तथा दूसरी उसके एक माह बाद लगवानी चाहिये।

डेढ़ माह की उम्र से बच्चों को काली खांसी, डिप्थीरिया और **टिटेनस** के मिले जुले डी0पी0टी0 के तीन टीके एक–एक माह के अन्तर से लगाये जाते है। इसी टीके से टिटेनस का बचाव हो जाता है।

ब– गलघोंटू (डिप्थीरिया) :–

पांच साल तक की आयु के बच्चों को यह रोग अधिक होता है। इस रोग में गले में झिल्ली पड जाती है, जिससे सास लेने में कठिनाई होती है, समय से इलाज न मिलने पर, दम घुटने से बच्चें की जान जा सकती है।

बचाव :– डेढ़ माह की उम्र से बच्चों को काली खांसी, **डिप्थीरिया** और टिटेनस के मिले जुले डी0पी0टी0 के तीन टीके एक–एक माह के अन्तर से लगाये जाते है।

स– काली खॉसी (कुक्कर खॉसी):–

इस रोग में बच्चों को पहले साधारण खॉसी होती है, ईलाज न होने पर साधारण खॉसी काली खॉसी में बदल जाती है। 2 वर्श से कम आयु के बच्चों पर इस रोग का असर ज्यादा होता है।

बचाव :– डेढ़ माह की उम्र से बच्चों को **काली खांसी**, डिप्थीरिया और टिटेनस के मिले जुले डी0पी0टी0 के तीन टीके एक–एक माह के अन्तर से लगाये जाते है।

द– तपेदिक (क्षय रोग) :–

तपेदिक या टी0बी0 छूत की बीमारी है। टी0बी0 के रोगी के साथ रहने वाले कमजोर कुपोशित बच्चों पर इस का असर जल्दी होता है। एक बार रोग लगजाने पर इस का इलाज काफी लम्बे समय तक चलता है। अब इस रोग का पूर्ण इलाज सम्भव है।

बचाव :– बच्चें को टी0बी0 से बचाने के लिये जन्म के समय अथवा डेढ माह की उम्र पर बी0सी0जी0 का टीका जरूर लगवायें। घर के किसी सदस्य को तपेदिक हो तो बच्चों को जल्द से जल्द टीका लगवा देना चाहियें।

य– पोलियो :–

पोलियो वाइरस से होने वाला रोग है। पांच साल तक के बच्चों पर इस बीमारी का असर अधिक होता है बीमारी से प्रभावित अंग काम में न आने के कारण पतला हो जाता है। धीरे–धीरे बच्चा स्थाई रूप से विकलांग हो जाता है।

बचाव :– बच्चें को पोलियो की दवा की तीन खुराकें एक–एक माह के अन्तर पर डेढ माह की उम्र से पिलवायें। इसकी बूस्टर खुराक डेढ वर्श की उम्र पर दी जाती है।

पल्स पोलियो कार्यक्रम

आज कल पोलियो को पूरे विश्व में जड़–मूल से समाप्त करने के लिये यह अभियान चलाया जा रहा है, इसमें 0 से 5 वर्श के बच्चों को पूरे देश में एक निश्चित दिवस पर पोलियो खुराक दी जाती है। यह अभियान जब भी हो तब सभी 0–5 वर्श तक बच्चों को हर बार पोलियो की खुराक देनी चाहिए।

र– खसरा :–

खसरा वायरस से होने वाला छूत का रोग है। इसके शुरू के लक्षण सर्दी जुकाम से मिलते जुलते है। बुखार, बहती नाक, लाल सूजी हुई ऑखें और खॉसी। बाद में पूरे शरीर पर लाल दाने हो जाते है।

बचाब :–

- बच्चें को जन्म के बाद 9 वे माह में खसरे का टीका लगवायें।
- खसरा कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, इसको चिकित्सक को दिखलाकर इलाज अवश्य करा लेना चाहिए।

विटामिन 'ए' :–

9 वें महीने पर लगने वाला खसरे का टीका खसरे से रक्षा करता है। इस टीके के साथ ही विटामिन ए की आधी खुराक दी जाती है, जो बच्चें की रतौधी व अन्य संक्रमणों से रक्षा करती है। उसके बाद तीन साल तक हर छः माह बाद विटामिन ए की पूरी खुराक बच्चें को दी जानी चाहिए।

नोटः– प्रत्येक सामु0स्वा0केन्द्र, प्रा0स्वा0केन्द्र, नया प्रा0स्वा0केन्द्र, उपकेन्द्रों पर माह के प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को टीकाकरण किया जाता है। समय – समय पर शासन द्वारा राश्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जाता है।

3.राश्ट्रीय कुश्ठ रोग निवारण कार्यक्रम

राश्ट्रीय कुश्ठ रोग निवारण कार्यक्रम वर्श 1955 से केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया। वर्श 1983 में इसका नाम बदल कर राश्ट्रीय कुश्ठ निवारण कार्यक्रम कर दिया गया।

कुश्ठ रोग क्या है ?

कुश्ठ एक संक्रामक रोग है जो बैक्टेरिया से होता है, यह मुख्य रूप से चमडी और तन्त्रिकाओं को प्रभावित करता है, कुश्ठ किसी भी आयु में स्त्री या पुरूश, किसी को भी हो सकता है।

कुश्ठ रोग के चिन्ह तथा लक्षण :–

कुश्ठ रोगी उसे कहते हैं जिसकी चमड़ी पर अनेक ऐसे दाग–धब्बें हों जिनमें सुन्नपन हो यह धब्बे पीले, लाल या ताबई रंग के हो सकते हैं इनमें खुजली नहीं होती। इनमें आमतौर पर तकलीफ नहीं होती, परन्तु ठण्डा या गर्म स्पर्श या दर्द का आभास होता है। यह दाग या धब्बे शरीर में कहीं भी हो सकते हैं।

चिन्ह–लक्षण जो कुश्ठ रोग के नहीं हैः–

- चमड़ी के ऐसे दाग–धब्बे जो जन्म से हों (जन्म–दाग)
- जिनमें खुजली या चुभन होती हों।
- जो सफेद, काले या गहरे लाल रंग के हों।
- जिसमें भूसी निकलती हों।
- जो अचानक प्रगट या गायब हो जायें या तैजी से फैलें।

बचावः–

कुश्ठ रोग पता लगने पर तत्काल बहु–औशधि इलाज (एम0डी0टी0) शुरू करने के लिए सरकारी अस्पताल, सामु0स्वा0केन्द्र

अथवा प्रा0 स्वा0केन्द्र पर सम्पर्क करें। कुश्ठ रोग का इलाज सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त किया जाता है।

4. पुनरीक्षित राश्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम

भारत में राश्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम वर्श 1962 से शुरू, तथा 1968 से लागू किया गया। इस कार्यक्रम को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़कर प्रा0स्वा0सेवाओं के माध्यम से चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करायी गयी हैं। वर्श 1992 में इस कार्यक्रम की समीक्षा की गयी जिसके फलस्वरूप विभिन्न चरण में पुनरीक्षित राश्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम लागू किया गया। प्रदेश में यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्श 1995 में लागू किया गया, तथा वर्श 1999 से जिला स्तर पर विभिन्न चरणों में लागू किया गया।

क्षय रोग क्या है ?

टी0बी0 एक घातक संक्रामक रोग है जो माइक्रोवैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस (टी0बी0) जीवाणु से फैलता है। टी0बी0 के मरीज के बलगम में हजारों की संख्या में इसके जीवाणु होते है। खांसने व छीकने के दौरान यह जीवाणु हवा में फैल जाते हैं। ये जीवाणु लम्बे समय तक हवा में मौजूद रहते हैं और अपना असर डालते हैं। टी0बी0 के जीवाणु आस–पास के लोगों के फैफडों में भी सांस लेने के दौरान घुस जाया करते हैं। कमजोर व्यक्तियों में ये जीवाणु बच जाते हैं और बीमारी पैदा करते है।

टी0बी0 हमारे शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है लकिन छाती की टी0बी0 सबसे अधिक होती है।

डॉट्स क्या है ?

चिकित्सा कर्मी की देख–रेख में रोगी को अल्पावधि वाली क्षय निरोधक औशधियों का सैवन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामन ही कराया जाता है। विधि को डाइरेक्टली ट्रीटमेंन्ट शार्ट कोर्स (डॉट्स) कहते हैं। डॉट्स विधि के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है–

- क्षय रोगी को ठीक करने की जिम्मेदारी रोगी के स्थान पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सौपी गयी है।
- क्षय रोग प्रसार पर समाज को संक्रमण के भय से बचाया जाता है।
- यह विधि रोग मुक्त करने के लिये एक मात्र साधन है एवं सस्ती है।

रोग मुक्ति :–

बलगम धनात्मक वाले क्षय रोगी के, जिसने पूरा उपचार लिया हों बलगम की जांच के परिणाम दो अवसरों पर ऋणात्मक निकले, जब उसे रोग मुक्त घोशित किया जाता है।

नोटः–

किसी प्रकार के क्षय रोग की शंका होने पर पास के स्वास्थ्य केन्द्र पर जा कर अपनी बलगम की जांच करायें। अथवा मटरूमल धनामल क्षय चिकित्सालय, में अधीक्षक से सम्पर्क कर जांच एवं इलाज करा सकते हैं

5. राश्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम भारत सरकार की शतप्रतिशत सहायता तथा दिशा निर्देशों के अनुसार वर्श 1977 से चलाया जा रहा है। 62 प्रतिशत अन्धता मोतियाबिन्द के कारण होती है तथा 19 प्रतिशत बच्चों में अन्धता दृश्टिदोश के कारण होती है। मोतियाबिन्द जनित अन्धता को शल्य क्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। दृश्टिदोश को सही समय पर चस्में द्वारा दूर किया जा सकता है।

जनपद में प्रत्येक सामु0स्वा0केन्द्र तथा प्रा0स्वा0केन्द्र पर प्राथमिक जांच के पश्चात मरीज को मोतियाबिन्द के ऑपरेशन हेतु संयुक्त बागला जिला चिकित्सालय सन्दर्भित किया जाता है। जहॉ ऑपरेशन की सभी सुविधायें उपलब्ध है। कुशल नेत्र विशेशज्ञ के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही मुफ्त चश्में की व्यवस्था की जाती है।

नोटः— सभी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध है।

सम्पर्क :— नेत्र सम्बन्धित समस्याओं के लिए संयुक्त बागला जिला चिकित्सालय में नेत्र इकाइ में नेत्र विशेशज्ञ से सम्पर्क किया जा सकता है।

6. राश्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। राश्ट्रीय वैक्टर जन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम का मुख्यालय दिल्ली में है, जो वैक्टर जन्य बीमारियों को रोकने व उनसे होने वाली मौतों में कमी लाने के लिये दिशा निर्देश देने के लिय जिम्मेदार है।

जो कीट एक मनुश्य से दूसरे मनुश्य में रोग वाहक का कार्य करते हैं, उन्हें वैक्टर कहते हैं। इस प्रकार की बीमारियों को फैलाने में मनुश्यों की प्रमुख भूमिका होती है। राश्ट्रीय वैक्टर जन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित रोग सम्मिलित हैः—

1. मलेरिया
2. फाइलेरिया
3. काला जार
4. डेंगू बुखार
5. जापानी एनसेफेलाइटिस

उद्देश्य :–

- मलेरिया रोग से होने वाली मौतों से बचाव।
- मलेरिया से होने वाली रोग दर में कमी लाना।
- अधिक प्रकोप वाले क्षेत्रों में मलेरिया का शीघ्र निदान एवं उपचार उपलब्ध कराना।
- मलेरिया तथा अन्य वैक्टर जन्य रोगों के सम्बन्ध में समुदाय में जानकारी एवं जागरूकता बढाना।
- संस्थागत प्रबन्धन क्षमता बढाना।
- फाइलेरिया की रोग दर में कमी लाना।
- जे0ई0 एवं डेंगू पर नियन्त्रण प्राप्त करना।
- राज्य के एनडेमिक क्षैत्रों कालाजार का निवारण करना।

नोटः–

जनपद महामायानगर में मलेरिया के अतिरिक्त उपरोक्त में से किसी रोग का प्रकोप नहीं पाया गया है। मलेरिया से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जिला मलेरिया अधिकारी (**मोबा0 नं0 9411802516**) से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

7. समेकित रोग निगरानी (सर्वेलैन्स) कार्यक्रम

गॉव एवं शहरों में उल्टी, दस्त, हैजा, पीलिया, मलेरिया तथा मस्तिश्क आदि रोग जब एक व्यक्ति को होते है, तो इनके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों में यह रोग बहुत तेजी से फैलते हैं। ऐसे रोगों को संचारी रोग कहा जाता है। इन रोगों का समय पर नियन्त्रण अत्यन्त आवश्यक होता है ताकि अत्याधिक जन – धन की हानि को रोका जा सकें। यदि हम थोड़ी सी जानकारी रखे व इन रोगों के विशय में विशेश वातावरण संकेतकों पर निगरानी रखें तो इन रोगों को फैलने से रोका जा सकता है।

जनपद महामायानगर में प्रत्येक सामु0स्वा0केन्द्र, प्रा0स्वा0केन्द्रों पर संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्षों की स्थापना कर दी गयी है, किसी भी प्रकार के संक्रामक रोगों की सूचना सम्बन्धित सामु0स्वा0केन्द्र के अधीक्षक एवं प्रा0स्वा0केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दी जा सकती है। जनपद मुख्यालय पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (**मोबाइल नं0: 9412877197**) तथा जिला संक्रामक रोग अधिकारी, (**मोबा0 नं0: 9410644786**)को सूचना दी जा सकती है। जिससे समय रहते संक्रामक रोगों पर नियन्त्रण किया जा सकें।

8. परिवार कल्याण

परिवार कल्याण के अन्तर्गत परिवार नियोजन से सम्बन्धित निम्न सुविधायें प्रत्येक सामु0स्वा0केन्द्र, प्रा0स्वा0केन्द्र, तथा जिला संयुक्त बागला चिकित्सालय के पुरूश एवं महिला इकाई में उपलब्ध है।

सुविधायें :–

1. **नसबन्दीः–**

   प्रत्येक सामु0स्वा0केन्द्र, प्रा0स्वा0केन्द्र पर प्रति माह नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जाता हैं। जहॉ पहुच कर सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही जिला संयुक्त बागला चिकित्सालय के पुरूश एवं महिला इकाई में किसी भी कार्य दिवस में इस सुविधा का लाभ निःशुल्क उठाकर सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध है।

2. **कॉपर–टीः–**

   महिलाओं हेतु यह सुविधा प्रत्येक सामु0स्वा0केन्द्र, प्रा0स्वा0केन्द्र एवं जिला संयुक्त बागला चिकित्सालय की महिला इकाई में निःशुल्क उपलब्ध है। किसी भी कार्य दिवस में विशेशज्ञ महिला चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर सुविधा का लाभ उठायें।

3. **ओरल पिल्सः–**

   गर्भ से बचने के लिये महिलाओं हेतु खाने वाली गोलियां प्रत्येक सामु0स्वा0केन्द्र, प्रा0स्वा0केन्द्र, नया प्रा0स्वा0केन्द्र, उपकेन्द्रों एवं जिला संयुक्त बागला चिकित्सालय की महिला इकाई में निःशुल्क उपलब्ध है।

4. **निरोधः–**

पुरूशों हेतु यह गर्भ निरोधक प्रत्येक सामु0स्वा0केन्द्र, प्रा0स्वा0केन्द्र, नया प्रा0स्वा0केन्द्र, उपकेन्द्रों एवं जिला संयुक्त बागला चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध है।

नोटः– उपरोक्त सुविधाओं का लाभ लेने के लिये सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करें।

9. ब्लड बैक

रक्तदान – महादान

जनपद महामायानगर में नवसृर्जित ब्लड बैक से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के कार्य हेतु (रक्त दान/रक्त ग्रहण) ब्लड बैक प्रभारी (मोबा0 नं0: 9897014542) से सम्पर्क कर सकते है।

रक्त का उपहार
करेगा जीवन का संचार

रक्त के मोल को जानों,
उसमें छुपी जिन्दगी को जानों।

- रक्त का कोई विकल्प नहीं है।
- रक्त दान किसी भी (18 से 60 वर्श) स्वस्थ्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।
- रक्त दान करने में केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है।
- यह एक कश्ट रहित साधारण प्रक्रिया है।
- रक्त दान से शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है।

- यदि आप रक्त दान करते है तो अन्य लोग आपके लिये भी रक्त दान कर सकते हैं।

10. एड्स

एड्स एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी ह्यूमन इम्यूनो डैफिसियेन्सी वायरस (एच0आई0वी0) द्वारा होती है। इस बीमारी का न ही अभी कोई इलाज और न अभी तक इस बीमारी के किसी प्रतिरोधक टीके का अविश्कार हुआ है।

लेकिन एड्स से बचा जा सकता है :–

एड्स के सम्बन्ध में जानकारी रखना और जागरूकता रखना ही बचने का एक मात्र और सहज उपाय है।

बचने के लिये सावधानियां :–

- संयम रखें, वफादारी निभायें, हर सम्बन्ध सुरक्षित बनायें।
- हमेशा नई सूई/सिरिंज का ही प्रयोग करें।
- गर्भवती महिला को डाक्टर की सलाह से ही प्रसव की तैयारी करनी चाहिए।
- जॉच किये हुए खून का ही प्रयोग करें।
- खून या कोई अन्य शारीरिक तरल पदार्थ को छूते समय रबड़ के दस्ताने/पोलीथिन प्रयोग करें।

एड्स कैसे फैलता है :–

- संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन सम्पर्क स्थापित करने से।
- एड्स संक्रमित खून या खून के पदार्थों के जरियें संक्रमित खून चढना, वीर्य, अंग, टिश्यू, प्रतिस्थापना करने से।
- संक्रमित सूई, सिरिंज या धारदार यन्त्रों का विसंक्रमण किये बिना प्रयोग करने से।
- संक्रमित माता से संतान को गर्भावस्था में प्रसव के दौरान और स्तनपान कराने से।

एड्स किस तरह नहीं फैलता है :–

- खांसने या छीकने से यह रोग नहीं फैलता।
- एक ही शौचालय इस्तेमाल करने से।
- रोगी के साथ एक ही घर रहने से।
- साथ खाना खाने से।
- गले लगाने से।
- हाथ मिलाने से।
- मच्छर के काटने से।
- रोगी देखभाल करने से।

आप एच0आई0वी0 ग्रस्त हैं या नहीं यह कैसे जानेगें:–

- जोखिम पूर्ण आचरण का इतिहास जैसे अनेक संगियों के साथ यौन सम्पर्क, संक्रमित खून, एक ही सूई का विभिन्न लोगों द्वारा प्रयोग।
- खून की जॉच एच0आई0वी0 के लिए स्वैच्छिक परार्मश और परीक्षण केन्द्र (जिला संयुक्त बागला चिकित्सालय) में सम्पर्क करें। यह जॉच पूर्णतः निःशुल्क है।

11. जनपद महामायानगर में चिकित्सकों की वर्तमान स्थिति

1. जनपद मुख्यालय :–

क्र0 सं0	चिकित्सक का नाम	पद नाम	तैनाती स्थल	मोबा0 नं0
1.	डा0 डी0बी0 कौशिक	मु0चि0अधिकारी	जिला मुख्यालय	9897633332
2.	डा0 राजेन्द्र कुमार	अ0मु0चि0अधि0	जिला मुख्यालय	9415124514
3.	डा0 रामकुमार	उप मु0 चि0अधि0	जिला मुख्यालय	9412877197
4.	डा0 अनिल कुमार सक्सैना	उप मु0 चि0अधि0	जिला मुख्यालय	9359500905
5.	डा0 पी0के0 श्रीवास्तव	उप मु0 चि0अधि0	जिला मुख्यालय	9897509785
6.	डा0 अब्दुल कय्यूम	कार्यवाहक(जि0कुश्ठअधि0 / जि0संक्रा0रो0अ0)	जिला मुख्यालय	9410644786
7.	श्री राजकुमार सारस्वत	जिला मलेरिया अधिकारी,	जिला मुख्यालय	9411802516

2. संयुक्त बागला जिला चिकित्सालय, (पुरूश इकाई)

7.	डा0 दिनेश कुमार	अधीक्षक	सं0जि0चिकि0	9412816699
8.	डा0 शिशिर कुमार	ई0एन0टी0	सं0जि0चिकि0	9412317508
9.	डा0 आर0के0सागर	वरि0परार्मशदाता	सं0जि0चिकि0	9415738224
10.	डा0 ओ0एन0त्रिवेदी		सं0जि0चिकि0	9451422471
11	डा0 बी0एम0सिंह	नेत्र विशेशज्ञ	सं0जि0चिकि0	9412280182
12.	डा0 रजनीश कुमार	रेडियोलोजिस्ट	सं0जि0चिकि0	9415488725
13.	डा0 रूचि मिश्रा	दन्त विशेशज्ञ	सं0जि0चिकि0	9451206900
14.	डा0 रमेश बाबू शर्मा	निश्चेतक	सं0जि0चिकि0	9837177232
15.	डा0 कविता अरोरा	ब्लड बैक प्रभारी	सं0जि0चिकि0	9897014542
16.	डा0 बी0पी0गुप्ता	वरि0परार्मशदाता	सं0जि0चिकि0	9412177023
17.	डा0 देवेश महेन्द्रा	फिजीशियन	सं0जि0चिकि0	9837184061
18.	डा0 एस0के0 मजूमदार	फिजीशियन	सं0जि0चिकि0	9412277711
3. संयुक्त बागला जिला चिकित्सालय, (महिला इकाई)				
19.	डा0 मधुर सिंघल	अधीक्षिका	सं0जि0चिकि0	9319599991
20.	डा0 सुधा गुप्ता	चिकि0अधिकारी	सं0जि0चिकि0	9451752306
21.	डा0 सुनीता कुमारी	चिकि0अधिकारी	सं0जि0चिकि0	9412757979
22.	डा0 गुनमाला जैन	चिकि0अधिकारी	सं0जि0चिकि0	9997257613
23.	डा0 सुशमा सिंह	चिकि0अधिकारी	सं0जि0चिकि0	
4. एम0डी0टी0बी0 चिकित्सालय,				
24.	डा0 वीरेन्द्र कुमार	अधीक्षक	एम0डी0टी0बी0चि0	9412733299
25.	डा0 एस0के0 दीक्षित	चैस्ट फिजी0	एम0डी0टी0बी0चि0	9412654111
5. सामु0स्वा0केन्द्र, सादाबाद				

26.	डा0 भुवेन्द्र सागर	अधीक्षक	सामु0स्वा0केन्द्र, सादाबाद	9259270688
27.	डा0 नीरज अग्रवाल	सर्जन	सामु0स्वा0केन्द्र, सादाबाद	9412452747
28.	डा0 आशा शुक्ला	दन्त सर्जन	सामु0स्वा0केन्द्र, सादाबाद	
29.	डा0 सुमिता मजूमदार	स्त्री रोग विशेशज्ञ	सामु0स्वा0केन्द्र, सादाबाद	9412277711
6. सामु0स्वा0केन्द्र, सिकन्दराराऊ				
30.	डा0 हरदत्त कुमार	अधीक्षक	सामु0स्वा0केन्द्र, सि0राऊ	9410061708
31.	डा0 पवन कुमार वर्मा	चिकित्साधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र, सि0राऊ	9412259089
32.	डा0 अलवीरा शाह	स्त्री रोग विशेशज्ञ	सामु0स्वा0केन्द्र, सि0राऊ	9837057962
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महौ.				
33.	डा0 ए0के0सिंह	प्रभारी चिकित्साधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, महौ	9927100168
34.	डा0 बी0एन0 अवस्थी	चिकित्साधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, महौ	9837023802
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरसान.				
35.	डा0 एम0के0 अग्रवाल	प्रभारी चिकित्साधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, मुरसान	9359956993
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सासनी				
36.	डा0 आर0पी0सिंह	प्रभारी चिकित्साधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, सासनी	9411490311
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसायन				
37	डा0 लव कुमार	प्रभारी चिकित्साधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, हसायन	9997237703
38.	डा0 निशान्त निर्वान	चिकित्साधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, हसायन	9358435469
11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहपऊ				
39.	डा0 ए0के0 मित्तल	प्रभारी चिकित्साधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, सहपऊ	9411410436

40.	डा0 आर0के0 दयाल	चिकित्साधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, सहपऊ	9412384979
12. नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,				
41.	डा0 संजय सक्सैना	चिकित्साधिकारी	जैतई	
42.	डा0 प्रवीन कुमार गर्ग	चिकित्साधिकारी	बिलारा	9927091988
43.	डा0 देवेन्द्र मोहन	चिकित्साधिकारी	मई	9411925581
44.	डा0 एस0के0 गुप्ता	चिकित्साधिकारी	बिसावर	9837960910
45.	डा0 आर0के0 अरोरा	चिकित्साधिकारी	मानिकपुर	9412395017
46.	डा0 नईमुददीन	एम0ओ0सी0एच0	मानिकपुर	
47.	डा0 नवनीत कुमार	चिकित्साधिकारी	बामौली	9935704241
48.	डा0 अर्चना सक्सैना	चिकित्साधिकारी	चन्दपा	09818894957
49.	डा0 अरुण कुमार	चिकित्साधिकारी	करील	9410434797
50.	डा0 अरविन्द कुमार	एम0ओ0सी0एच0	नगला मनी	
51.	डा0 शैलेन्द्र पाल सिंह	चिकित्साधिकारी	ऐंहन	9412391121
52.	डा0 शशिकान्त	चिकित्साधिकारी	चिन्तापुर बदन	9837039398
53.	डा0 वीरेन्द्र सिंह	चिकित्साधिकारी	हाथरस जंक्शन	9412593794
54.	डा0 आर0के0 मिश्रा	एम0ओ0सी0एच0	हाथरस जंक्शन	
55.	डा0 आर0के0 अशोक	चिकित्साधिकारी	बसई काजी	9897890878
56.	डा0 मधुर कुमार	चिकित्साधिकारी	सलेमपुर	9412329311
57.	डा0 देवेन्द्र सिंह	चिकित्साधिकारी	महमूदपुर	9412104823
58.	डा0 एम0के0 भटनागर	चिकित्साधिकारी	मऊचिरायल	9837150280

चिकित्सालय खुलने का समय :–

ग्रीश्मकाल (1अप्रैल से 30 सितम्बर) प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

शीतकाल (1 अक्टूबर से 31 मार्च) प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक

नोटः–

समस्त सामु0स्वा0केन्द्र, प्रा0स्वा0केन्द्र एवं नवीन प्रा0स्वा0केन्द्र ऊपर दिये नियत समय पर खुलते हैं। सामु0स्वा0केन्द्रों एवं प्रा0स्वा0केन्द्रों पर आपातकालीन सेवायें 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं, तथा सेवा के लिये सम्बन्धित अधीक्षक/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करें।

जिला बागला संयुक्त चिकित्सालय खुलने का समय :–

प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक।

आपातकालीन सेवा रोस्टर के अनुसार प्रदान की जाती है।

माह जून, 2008 का रोस्टर

प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे एवं रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक(द्वितीय दिन)

क्र0सं0	चिकित्सक का नाम	कार्य दिवस	मोबा0 नं0
1.	डा0 आर0के0 सागर	4,6,11,25,27	9415738224
2.	डा0 बी0एम0सिंह	7,14,18,21,29	9412280182
3.	डा0 शिशिर	1,9,16,23,30	9412317508
4.	डा0 बी0पी0गुप्ता	3,10,17,20,22	9412177023
5.	डा0 एस0के0 मजूमदार	2,12,15,19,26	9412277711
6.	डा0 देवेश महेन्द्रा	5,8,13,24,28	9837960910

दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक

क्र0सं0	चिकित्सक का नाम	कार्य दिवस	मोबा0 नं0
1.	डा0 मधुर कुमार	3,5,10,12,17,19,24,26	9412329311
2.	डा0 आर0के0 अरोरा	4,11,18,25	9412395017
3.	डा0 देवेश महिन्द्रा	13,28	
4.	डा0 वी0पी0 गुप्ता	20	
5.	डा0 एस0के0 गुप्ता	2,9,16,23,30	9837960910

नोटः– आपातकालीन सेवाओं में चिकित्सकों की ड्यूटी प्रति माह नये रोस्टर के अनुसार लगायी जाती है।

विशेश नोट

जनपद महामायानगर में स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अनियमितता/असुविधा की शिाकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी **(मोबा0 नं0 9897633332)** से करें।